ग्यारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं हेतु अनुदान

आवंटनः

ग्यारहवें वित्त आयोग के तहत राजस्थान की पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान के रूप में वर्ष 2000–2001 से 2004–2005 तक रूपये 490.95 करोड़ उपलब्ध हुये।

उद्‌देश्यः

अनुदान राशि ग्रामीण क्षैत्रों में जनसेवाओं के रख–रखाव जिसमें प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा, स्वच्छ पेयजल, गलियों एवं सड़कों पर प्रकाश, सफाई जिसमें ड्रेनेज एवं शौचालय सुविधा शामिल है व शव एवं कब्रिस्तान तथा जन सुविधाओं एवं अन्य सामुदायिक सम्पत्तियों के रख–रखाव के उपयोग हेतु उपलब्ध करवायी गई।

'करिश्मा'' (CARISMA)

- ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं के लेखों के संधारण हेतु रूपये 1884.20 लाख और डाटाबेस सृजन हेतु राशि रूपये 754.08 लाख रखे गये है।
- जिला परिषद् एवं पंचायत समिति स्तर की नेटवर्किंग की सुविधा विकसित करने हेतु विभाग द्वारा मूलतः पंचायती राज मुख्यालय, समस्त 32 जिला परिषदों एवं समस्त 237 पंचायती समितियों तथा आदर्श रूप से लगभग 1100 ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर–हब के रूप में विकसित करने की तैयार की गई ''करिश्मा'' (CARISMA) नाम की योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।